

गव्य विकास योजना सीमान्त एवं लघु किसान के जीवन रेखा सतत कृषि विकास के विशेष संदर्भ में रेखा में मुजफ्फरपुर जिला का अध्ययन

भगवान राय¹

¹शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Nov 2024, Published : 30 November 2024

Abstract

भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किए जाते थे परंतु आज भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाय चेन, डेयरी पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादी गतिविधियों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लघु और सीमान्त किसान अपना खेती करने के साथ-साथ अर्थात् पशु गाय भैंस बकरी भी पालते हैं। जो उनके आय का प्रमुख साधन है। सतत कृषि का तात्पर्य, कृषि प्रणाली को दीर्घकालिक रूप से व्यवहार्य बनाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना होता है। सतत कृषि में, पर्यावरणीय प्रबंधन आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक समानता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। पशुधन टिकाऊ खेती प्रणाली का अहम हिस्सा है। पशुधन से मांस, दूध, ऊन जैसे टिकाऊ रेशे मिलते हैं। पशुधन से रोजगार मिलता है। पशुधन से कृषि भूमि पर खरपतवारो का फैलाव रुकता है। राष्ट्रीय सतत कृषि गठबंधन (NSAC) ने कृषि विधेयक के अनुसंधान और संरक्षण शीर्षको में ऐसे प्रावधान शामिल करने के लिए लगातार काम किया है जो टिकाऊ पशुधन डेयरी और पोल्ट्री किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियों का समर्थन करते हैं।

मुख्य शब्द— गव्य विकास योजना, सीमान्त, लघु किसान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सतत कृषि विकास

Introduction

पशुधन किसी भी देश के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। यदि हम अपने समाज में देखते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में पशुपालन द्वारा खेती की तुलना में अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है। लघु और सीमांत किसान के पास जमीन नहीं होता है वे कृषि कार्य दूसरे के जमीन बटाई या किराए पर लेकर करते हैं परिवार का आकार बढ़ा होने के कारण परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जिसके कारण वे अतिरिक्त आय के लिए पशु भी पालते हैं। पशु पालने से उन्हें दो लाख मुख्य रूप से प्राप्त होता है एक तो उन्हें दूध और दूसरा उन्हें गोबर प्राप्त होता है जो उन्हें खेती के लिए सहायक है मवेशी के खाद से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है रासायनिक खाद के मुकाबले यदि किसान इसका उपयोग करता है तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। हाल ही के वर्षों में पश्चिमी यूरोप के देशों में कुल कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पादन का योगदान 60 से 80 प्रतिशत रहा है। 2001-02 के दौरान चालू कीमतों पर भारत में पशुधन से उत्पादन का मूल्य 155330 करोड़ रुपए था जो की कृषि एवं अन्य संबंधित

क्षेत्र के मूल्य का लगभग 25 प्रतिशत है केवल दूध का मूल्य 2001-02 में 103800 करोड़ रुपए था जो धन 73970 करोड़ रुपए गेहूं, 48320 करोड़ रुपए और चीनी 28590 करोड़ रुपए के उत्पादन के मूल्य से अधिक था।

2001-02 के दौरान 8.5 करोड़ टन दूध के अनुमानित उत्पादन के अतिरिक्त पशुधन द्वारा 3400 करोड़ अंडे 5.1 करोड़ किलोग्राम ऊन 50 लाख टन गोशत का भी योगदान किया गया इसके अलावा गोबर द्वारा उर्वरक एवं घरेलू ईंधन के लिए प्रयोग, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव एवं माल के परिवहन के रूप में पशुओं के योगदान का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया यदि इन सबको जोड़ लिया जाए तो सकल क्षेत्रीय उत्पाद में 2001-02 के दौरान पशुधन का योगदान 5.6 प्रतिशत से भी अधिक है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम भारत सरकार की एक योजना है इसका उद्देश्य पशुधन किसानों और उनके समुदायों की आजीविका में सुधार करना है यह अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है और पर्यावरण की रक्षा करता है यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो पशुधन क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व कमजोर वर्गों में बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की गंभीर समस्याओं को हल करने की दृष्टि से बहुत ही अधिक है। इसके अतिरिक्त पशुपालन द्वारा सहायक व्यवसाय कायम करके आय.जनन में सहायता प्राप्त होती है। खुशकृषि में विशेषकर थोड़ी या नाम मात्र वर्षा वाले इलाकों में पशुओं का प्रभावी कार्यभाग है पशुपालन और दुग्धशाला विकास का प्रयोग गरीबी हटाओ प्रोग्राम के उपाय में किया जा रहा है ताकि इसके अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करा कर ग्रामीण निर्धनों की पारिवारिक आय बढ़ाई जा सके।

सतत कृषि— सतत कृषि का अर्थ है कि कृषि और खाद उत्पादन के लिए एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण अपनाना जिससे वर्तमान की जरूरत को पूरा किया जा सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके।

सतत कृषि के उद्देश्य—

कृषि प्रणालियों को दीर्घकालिक रूप से व्यवहार्य बनाना

‘प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता को बनाए रखना

इन संसाधनों का संरक्षण और सतत उपभोग को बढ़ावा देना सतत कृषि में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीक है जैसे फसल चक्रण मिश्रित खेती ड्रिप सिंचाई कृषि वानिकी इत्यादि।

हमारे देश में 110 लाख व्यक्तियों को मुख्य स्थिति के आधार पर 80 लाख व्यक्तियों को सहायक स्थिति के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पशुधन क्षेत्र के रोजगार में स्त्रियों का भाग 69 प्रतिशत है जबकि यह फसलों की खेती में 35 प्रतिशत है इसके अतिरिक्त 2001-02 के दौरान पशुधन से संबंधित उत्पादों से 3840 करोड़ रुपए की निर्यात आय प्राप्त की गयी।

भारत और विश्व में पशुधन— भारत के पास पशुओं की सबसे अधिक संख्या है चीन का दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड आदि के पास पशुओं की संख्या तो केवल 1 प्रतिशत से भी कम है।

भारत में पशुधन करोड़ों में

	1958	1966	1972	1982	2003	
1	गोधन	15.9	17.6	17.9	19.2	18.5
2	भैंस	4.5	5.3	5.8	7.0	9.8
3	भेड़ें	3.9	4.2	4.0	4.9	6.1
4	बकरियाँ	3.5	5.5	6.8	9.5	12.4
5	अन्य	0.8	0.8	8.8	1.4	1.7
	कुल	28.6	33.4	43.3	42.0	48.5

अगर हम 2003 की पशु गणना के अनुसार भारत में 48.5 करोड़ पशु थे जिसमें से गोधन 18.5 करोड़ भैंस 9.8 करोड़ और बकरियाँ 12.4 करोड़ थी इस प्रकार संख्या की दृष्टि से 1972 और 2003 के बीच पशुधन की मात्रा में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत की राष्ट्रीय आय में पशुधन के बहुत थोड़े से योगदान के कई कारण हैं भारतीय पशुधन की दयनीय स्थिति सिद्ध करती है कि धर्म के नाम पर पशुओं के प्रति उदासीनता एवं निर्दयता के कारण देश में पशुधन की हालत खराब होती गई है। भारत में पशुओं की संख्या का एक बड़ा भाग बड़ी आयु के नर एवं मादा पशुओं का है जो ना तो काम करने की अधिक क्षमता रखते हैं और ना ही अधिक दूध देते हैं। ये पशु स्पष्टतः देश के उपलब्ध साधनों पर एक बोझ हैं और कृषि उन्नति में एक बाधा हैं।

कृषि मशीनरी के विस्तार अर्थात् ट्रैक्टर पंपिंग सेट आदि से किसानों की पशु शक्ति पर निर्भरता कम होती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई देश के किसानों की जोतो का छोटा तथा बिखरे होना है जिनके कारण बहुत अधिक संख्या में पशु रखने पड़ते हैं।

बिहार में गव्य विकास योजना

पशु एवं मत्स्य संसाधन बिहार सरकार पशुपालकों को पशुओं पर अनुदान देने के लिए योजना चलाई जाती है इस योजना को समग्र गव्य विकास योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को पशुपालन के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। समग्र गव्य विकास योजना के तहत जो लोग 2 या 4 मवेशियों के साथ अपनी डेयरी स्थापित करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। समग्र गव्य विकास योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो पशुपालन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है यह योजना गौ माता की संरक्षण, उनके पालन और उत्पादों के समर्थन में समर्पित है इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को पशुपालन के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं के पालन हेतु डेयरी

स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2, 4 और 15, 20 दुधारू पशुओं को पालने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है इस योजना के तहत राज्य के किसने बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जाता है।

मुजफ्फरपुर जिला और गव्य विकास योजना

मुजफ्फरपुर जिला में लघु और सीमांत किसान खेती करने के अतिरिक्त मवेशी पलते हैं। जो उनके आय का प्रमुख स्रोत है हमारे पशुओं के लगभग 60 प्रतिशत के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है अतः हमारे पशुओं को भी बहुत घटिया और कम भोजन मिलता है। पंचवर्षीय योजनाओं के विकास प्रोग्रामो में पशुपालन के तीन उद्देश्य रखे गए हैं दूध और दूध से बने वस्तुओं के संभरण को बढ़ाना फार्म क्रियाओं के लिए भारवाही पशु उपलब्ध कराना और ऊन एवं खालो जैसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना।

लघु और सीमांत विकास की सामाजिक.आर्थिक स्थिति

लघु और सीमांत विकास के सामाजिक.आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से चुनौतियां और उभरते अवसरों के संदर्भ में उजागर किया गया है। लघु और सीमांत किसान की आय कम होती है जिससे उन्हें अपने परिवार के भरण .पोषण में आमदनी अर्थात आय का अधिक भाग खर्च होता है। जिससे वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं। आजादी के 78 वर्षों के बाद देश में सरकार द्वारा money lending के व्यवस्था खत्म कर दिया गया लघु और सीमांत किसान अपने खेती बाड़ी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है जिससे वे अपने रिश्तेदार गांव के सेठ और साहूकार से ऋण लेते हैं। ब्याज की दर ऐसी होती है कि सूद दर सूद ब्याज वसूला जाता है। लघु और सीमांत किसान की स्थिति ऐसी है कि उन्हें किराए पर कृषि पर यंत्रिकरण लेकर कृषि कार्य करते हैं। किसानों का आय का स्तर नीचा होता है, जिससे वे अपनी उपभोग एवं उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है जब तक कृषि की आय में वृद्धि नहीं होगी तब तक लघु और सीमांत किसान ऋणग्रस्त ही रहेंगे इसी पर शाही कृषि आयोग ने यह अनुमान लगाया कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है, ऋण में मर जाता है और ऋण का भार अपने उत्तराधिकारियों पर छोड़ जाता है। वास्तव में इस ऋणग्रस्तता का गहरा संबंध किसानों के आर्थिक स्थिति व उनके निम्न आय स्तर से है। लघु और सीमांत किसान गरीबों के दुष्चक्र में फंसे होते है आने वाले पीढ़ी में ऋण से ग्रस्त होते हैं किसान अगर खेत में धान के फसल लगाए हैं और उनकी आवश्यकता अनेक है तो वे अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए या तो वे गांव के महाजन या अनाज खरीदने वाले व्यापारी से फसल तैयार होने के पहले ही फसल पर रूपया उधर ले लेते हैं। जब फसल तैयार होता है तब से वे खेतों से अनाज को बेच देते हैं और फिर उनका हाथ खाली का खाली रह जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार 2010-11 में भारत में 81.9 प्रतिशत सीमांत किसान है जिनके पास 2 हैक्टेयर से भी कम भूमि है यह सीमांत भूमि स्वामित्व कम उपज मात्रा की ओर इशारा करती है। सीमांत किसान के पास लंबे समय तक अपना अनाज भंडारित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।

निष्कर्ष— अतः हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में लघु और सीमांत किसान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है इसके लिए जरूरी है कि सरकार सरकारी योजनाओं का विस्तार कर सके गव्य विकास योजना के

लिए अनुदान दे, किसानों के बीच सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाए, जिससे यंत्रीकरण के उपकरण साझा किया जा सके।

संदर्भ सूची—

- 1 कृषि मंत्रालय भारत सरकार
- 2 विभिन्न शोध पत्र और रिपोर्ट्स
- 3 किसानों के साथ किए गए सर्वेक्षण और इंटरव्यू
- 4 कृषि यंत्रीकरण पर आधारित विभिन्न पुस्तकें और जर्नल्स
- 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्ययन
- 6 विभिन्न कृषि विशेषज्ञों के लेख और शोध पत्र
- 7 स्थानीय स्तर पर किए गए साक्षात्कार और खेत दौर